



प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यूपीसीडी/गीडा/सीडी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2023

विषय-औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में आवंटित औद्योगिक एवं आईटी/आईटीईएस भूखण्डों की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन की अधिसूचना संख्या-300/79-वि-1-2022-1-क-3-2022, दिनांक 03 जून, 2022 के द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 की धारा-7 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्राविधान किए गए:-

"...2- उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-7 में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

'परन्तु यह कि,

- (क) जहाँ कोई भूमि किसी औद्योगिक इकाई और/अथवा किसी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकृत सेवा इकाइयों (आईटी/आईटीईएस) की स्थापना हेतु दिनांक 28.07.2020 के पूर्व पट्टे पर आवंटित की गई है ; तथा
- (ख) उक्त भूमि का उपयोग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार (क्रियाशील/न्यूनतम अधिभोग) दिनांक 28.07.2020 तक न किया गया हो ; तथा
- (ग) पट्टा विलेख का निष्पादन किये जाने के दिनांक से आठ वर्ष की अवधि अथवा आवंटन की निबंधन और शर्तों के अनुसार ऐसे उपयोग के लिए नियत अवधि, जो भी अधिक हो दिनांक 28.07.2020 तक व्यतीत हो चुकी हो ; तथा
- (घ) प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवंटी को दिनांक 31.12.2022 के कम से कम तीन माह पूर्व उक्त भूमि का उपयोग दिनांक 31.12.2022 तक उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह आवंटित की गई हो, करने के लिए नोटिस दी जा चुकी हो, तथा आवंटी को ऐसा करने से विफल सम्बन्धी यथा उल्लिखित परिणामों से अवगत करा दिया गया हो ; तथा
- (ङ.) उक्त आवंटी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक भूमि का उपयोग न किया जाय ;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

तो उक्त आवंटन तथा पट्टा विलेख दिनांक 31.12.2022 को स्वतः रद्द हुआ माना जाएगा तथा उक्त भूमि प्राधिकरण में निहित हो जाएगी”,

परन्तु यह और कि राज्य सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश से उक्त परन्तुक में उल्लिखित ऐसे रद्दकरण तथा निहित किये जाने के दिनांक को विनिधान प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के हित में बढ़ा सकती है।

स्पष्टीकरण - 1:- पूर्वोक्त संशोधन से कोई आवंटी/इकाई, न्यूनतम आठ वर्ष की अवधि पूरा करने हेतु दावा करने का हकदार नहीं होगा। ऐसे उपयोग हेतु नियत अवधि आवंटन की निबंधनों और शर्तों तथा सम्बन्धित प्राधिकरण की नीति से शासित होंगी जिसमें समय वृद्धि और अन्य हितों तथा प्रभारी की उपयोज्यता सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण - 2:- आवंटन तथा पट्टा विलेख के ऐसे रद्दकरण तथा भूमि को प्राधिकरण में निहित किये जाने पर आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि का प्रतिसंदाय संबंधित प्राधिकरण की नीति के अनुसार किया जाएगा। ”

2. उपरोक्त अधिसूचना के द्वारा ऐसे औद्योगिक भूखण्ड एवं आई.टी./आई.टी.ई.एस. के भूखण्ड, जिनके लीज डीड निष्पादित होने के उपरान्त दिनांक 28.07.2020 को 08 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है अथवा लीज डीड में नियत अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी आवंटित भूखण्ड पर यूनिट फंक्शनल अथवा मिनिमम कम्प्लीशन नहीं किया गया है, के लिए दिनांक 31.12.2022 आवंटन के स्वतः निरस्तीकरण मानते हुए भूखण्ड अथॉरिटी में निहित किए जाने के प्राविधान हैं।

3. उपरोक्त अधिसूचना के प्राविधानों में प्रदत्त की गयी शक्तियों/अधिकारों का प्रयोग करते हुए आवंटन स्वतः निरस्त माने जाने तथा भूखण्ड को प्राधिकरण में निहित किए जाने की तिथि को सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने तथा रोजगार सृजन के प्रोत्साहन के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2024 तक बढ़ाया जाता है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।